

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2015  
क्रमांक एफ 31-08/2013/सत्ताईस-एक इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को जारी आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अनिल पारे (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) को मान परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए गठित अपीलीट फोरम में सदस्य न्यायिक के पद पर की गई नियुक्ति की अवधि में दिनांक 21/10/2015 से एक वर्ष की वृद्धि करता है।  
2/ नियुक्ति की शर्तें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24/09/2014 अनुसार रहेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एस.के.बघेल)

अवर सचिव

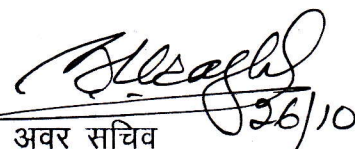
मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ० क्रमांक एफ 31-08/2013/सत्ताईस-एक  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

1. अध्यक्ष शिकायत निवारण प्राधिकरण, एसएसपी/अपीलीट फोरम, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर।
7. आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) स्कीम नं.-74 विजय नगर, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर।
8. सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
9. सचिव, शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, भोपाल।
10. संचालक (प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल कृपया श्री पारे की संविदा नियुक्ति के वेतन निर्धारण की कार्यवाही विहित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित करें।
11. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।  
कृपया उक्त आदेश को वेबसाइट पर दर्ज करने का कष्ट करें।
12. डॉ. अनिल पारे, सेवानिवृत्त, जिला न्यायाधीश .....
13. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
14. निज सचिव, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. निज सचिव, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
16. आर्डर बुक।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग